



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI

दिनांक / Date : 02 - 07 - 2026

सूचना / NOTICE

विषय: डीएनबी/डीआरएनबी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए थीसिस जमा करने, थीसिस स्वीकार होने, पात्रता और अधिकतम अनुमत समय-सीमा से जुड़ी समय-सारणी।

Subject: Timelines for Thesis Submission, Thesis Acceptance, Eligibility, and Maximum Permissible Duration to Successfully Qualify the DNB/DrNB Course.

एनबीईएमएस ने यह देखा है कि अनेक डीएनबी/डीआरएनबी प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद भी अपना शोधप्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के कई वर्षों बाद फ़ाइनल निकास परीक्षा (Final Exit Examination) में सम्मिलित होने हेतु एनबीईएमएस से आवेदन करते हैं। डीएनबी/डीआरएनबी कार्यक्रमों में एकरूपता, शैक्षणिक अनुशासन तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं / NBEMS has observed that a number of DNB/DrNB trainees do not submit their thesis or obtain thesis acceptance even after completing their training. Additionally, some candidates apply to appear for the final exit examination several years after successfully completing the prescribed training period. To promote academic discipline, ensure uniformity, and facilitate the timely completion of DNB/DrNB programmes, the following provisions shall come into effect immediately :

A. प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात शोध-प्रबंध (Thesis) प्रस्तुत करने की अधिकतम समय-सीमा / Outer limit for thesis submission after completion of training

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना शोधप्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षण की निर्धारित पूर्णता तिथि से दो (02) वर्ष की अवधि के पश्चात शोधप्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

Candidates must submit their thesis within the prescribed timelines. Under no circumstances will submission of the thesis be permitted beyond Two (02) years from the scheduled date of completion of the training.

उक्त दो वर्षीय अवधि के भीतर शोधप्रबंध प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण निरस्त एवं अमान्य (Null and Void) माना जाएगा। परिणामस्वरूप, संबंधित डीएनबी/डीआरएनबी पाठ्यक्रम की फ़ाइनल निकास परीक्षा (Final Exit Examination) में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी पात्र नहीं रहेगा।

Failure to submit the thesis within the stipulated two-year period shall render the candidate's training null and void. Consequently, the candidate shall become ineligible to appear in the Final Exit Examination for the concerned DNB/DrNB course.

B. शोध-प्रबंध (Thesis) की स्वीकृति हेतु समय-सीमा / Time Limit for Acceptance of Thesis

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबंध (थीसिस) को उसके प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम दो (02) वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होगा।

The thesis submitted by a candidate must be accepted within a maximum period of Two (02) years from the date of its submission.

यदि लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधन एवं/अथवा पुनः प्रस्तुतीकरण के अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी उक्त दो वर्षीय अवधि के भीतर शोध-प्रबंध (थीसिस) स्वीकृत नहीं होता है, तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रशिक्षण शून्य एवं निरस्त (Null and Void) माना जाएगा। परिणामस्वरूप, संबंधित डीएनबी/डीआरएनबी पाठ्यक्रम की फ़ाइनल निकास परीक्षा (Final Exit Examination) में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी पात्र नहीं रहेगा।

If the thesis is not accepted within the stipulated Two-year period, despite the candidate having been provided opportunities for modification/resubmission in accordance with the applicable guidelines, the candidate's training shall be treated as null and void. Consequently, the candidate shall become ineligible to appear in the Final Exit Examination for the concerned DNB/DrNB course.

C. पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने की अधिकतम अनुमेय अवधि / Maximum Permissible Duration to Successfully Qualify the Course

डीएनबी/डीआरएनबी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए, जिसमें फ़ाइनल थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना तथा सभी निर्धारित शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति सम्मिलित है, प्रशिक्षण की निर्धारित समाप्ति तिथि से अधिकतम सात (07) वर्ष की अवधि अनुमेय होगी।

The maximum permissible period for successful completion of a DNB/DrNB programme, including passing the Final Theory and Practical Examinations and fulfilling all prescribed academic requirements, shall be Seven (07) years from the scheduled date of completion of training.

जो अभ्यर्थी उक्त सात (07) वर्षीय अवधि के भीतर कार्यक्रम की सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहेंगे, उनका प्रशिक्षण शून्य एवं निरस्त (Null and Void) माना जाएगा। परिणामस्वरूप, ऐसे अभ्यर्थी संबंधित डीएनबी/डीआरएनबी कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने हेतु किसी भी अतिरिक्त प्रयास (Attempt) के लिए पात्र नहीं होंगे।

Any candidate who fails to complete all the requirements of the programme within the aforesaid Seven-year period shall have his/her training treated as null and void. Consequently, the candidate shall cease to be eligible for any further attempt(s) to qualify the concerned DNB/DrNB programme.

टिप्पणी / NOTE:

जिन अभ्यर्थियों ने इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि तक अपना डीएनबी/डीआरएनबी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, किन्तु अभी तक पाठ्यक्रम की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर अर्हता प्राप्त नहीं की है, उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से सात (07) वर्ष की अवधि के भीतर कार्यक्रम की सभी शेष आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

Candidates who have completed their DNB/DrNB training on or before the date of issuance of this Public Notice but have not yet qualified the course shall be required to successfully fulfil all the remaining requirements of the programme within a period of Seven (07) years from the date of issuance of this Public Notice.

उक्त सात (07) वर्षीय अवधि के भीतर कार्यक्रम की सभी शेष आवश्यकताओं को पूर्ण न करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का प्रशिक्षण शून्य एवं निरस्त (Null and Void) माना जाएगा।

Failure to complete all such requirements within the aforesaid seven-year period shall result in the candidate's training being treated as null and void.

D. पुराने / दीर्घकाल से लंबित अभ्यर्थियों हेतु एकमुश्त विशेष प्रावधान / One-Time Special Provision for Legacy / Long-Pending Candidates

उपरोक्त खंड A में निहित प्रावधानों के बावजूद, एकमुश्त विशेष उपाय के रूप में, ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि तक अपना डीएनबी/डीआरएनबी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, किन्तु अभी तक अपना शोध-प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत नहीं किया है, इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से बारह (12) माह की अवधि के भीतर शोध-प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

Notwithstanding anything contained in Clause A above, as a one-time special measure, candidates who have completed their DNB/DrNB training on or before the date of issuance of this Public Notice but have not yet submitted their thesis shall be granted a final opportunity to submit the same within a period of Twelve (12) months from the date of issuance of this Public Notice.

उक्त बारह (12) माह की अवधि के उपरांत किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय अथवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर शोध-प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का प्रशिक्षण शून्य एवं निरस्त (Null and Void) माना जाएगा।

No extension of time shall be granted beyond the aforesaid period. Failure to submit the thesis within the stipulated Twelve (12) month period shall result in the candidate's training being treated as null and void.



**एनबीईएमएस
NBEMS**
